	राजस्थान राजपत्र विशेषांक	RAJASTHAN GAZETTE Extraordinary
सत्यमेव जयते	साअधिकार प्रकाशित	*Published by Authority*
	फाल्गुन 09, शुक्रवार, *शाके* 1941–फरवरी 28, 2020 *Phalguna 09, Friday, Saka 1941–February 28, 2020*	

भाग 7

विभिन्न विभागों में प्रदायो के लिए टेन्डर मांगने की सूचनाओं को सम्मिलित करते हुये सार्वजनिक और निजी विज्ञापन।

राजस्थान विद्युत विनियामक आयोग

अधिसूचना

जयपुर, फरवरी 4, 2020

संख्या राविविआ/सचिव/ विनियम/- 135:-विद्युत अधिनियम, 2003 की धारा 86(1)(ई) के साथ पठित धारा 181 के अन्तर्गत प्रदत्त शक्तियों और इस निमित्त समर्थ बनाने वाली समस्त शक्तियों का प्रयोग करते हुये, राजस्थान विद्युत विनियामक आयोग, पूर्व प्रकाशन के पश्चात्, राविविआ (अक्षय उर्जा बाध्यता) विनियम, 2007 (इसके पश्चात यथा 'मूल विनियमों' के निर्दिष्ट) को संशोधित करने के लिये एतद्द्वारा निम्नलिखित विनियम बनाता है, अर्थात्:-

1. लघु शीर्षक तथा प्रारम्भण:

(1) इन विनियमों को **"राजस्थान विद्युत विनियामक आयोग (अक्षय उर्जा बाध्यता) (छठा संशोधन) विनियम, 2020"** कहा जायेगा।

(2) ये विनियम 01.04.2019 से प्रवृत्त होंगे।

2. मूल विनियमों के विनियम 4 में संशोधन:

(1) उपविनियम (2) के शीर्षक (ए) के अन्तर्गत प्रकट हो रही विद्यमान तालिकाओं के नीचे निम्नलिखित परून्तक अंत:स्थापित किये जायेगें:

''बशर्ते यह भी कि 01.04.2016 से पूर्व प्रारम्भ किये गये कै.वि.सं. के लिये, आर.पी.ओ. वर्ष 2015-16 हेतु आयोग द्वारा यथा आदेशाधीन स्तर पर होगा। 01.04.2016 के पश्चात प्रारम्भ किये गये कै.वि.सं. के लिये, आर.पी.ओ., कै.वि.सं. के चालू होने के वर्ष हेतु उर्जा मंत्रालय या आयोग द्वारा यथा आदेशाधीन स्तर, जो भी उच्चतर हो, लागू होगा।

बशर्ते यह भी कि क्षमता में किसी भी वृद्धि के मामले में, संवर्धित क्षमता पर जिस वर्ष में कै.वि.सं. का संवर्धन किया गया है उस वर्ष के लिये प्रयोज्य आर.पी.ओ. लगेगा।

बशर्ते यह भी कि ऐसे मामलें में जहां आर.पी.ओ. बाध्यता की पूर्ति के लिये कै.वि.सं. के पास अपनी उपभोग आवश्यकता से अधिक अधिशेष विद्युत है, ऐसा कै.वि.सं. अपनी अधिशेष

विद्युत का विद्यमान व्यवस्थाओं के अधीन, यदि कोई हो, डिस्कॉमों को या पावर एक्सचेंज में विक्रय कर सकता है।''

(2) उपविनियम (2) के शीर्षक (बी) के अन्तर्गत प्रकट हो रही विद्यमान तालिकाओं के नीचे निम्नलिखित परून्तक अंत:स्थापित किये जायेगें:

''बशर्तें यह भी कि 01.04.2016 से पूर्व प्रारम्भ किये गये कै.वि.सं. के लिये, आर.पी.ओ. वर्ष 2015-16 हेतु आयोग द्वारा यथा आदेशाधीन स्तर पर होगा। 01.04.2016 के पश्चात प्रारम्भ किये गये कै.वि.सं. के लिये, आर.पी.ओ., कै.वि.सं. के चालू होने के वर्ष हेतु उर्जा मंत्रालय या आयोग द्वारा यथा आदेशाधीन स्तर, जो भी उच्चतर हो, लागू होगा।

बशर्तें यह भी कि क्षमता में किसी भी वृद्धि के मामले में, संवर्धित क्षमता पर जिस वर्ष में कै.वि.सं. का संवर्धन किया गया है उस वर्ष के लिये प्रयोज्य आर.पी.ओ. लगेगा।।

बशर्तें यह भी कि ऐसे मामलें में जहां आर.पी.ओ. बाध्यता की पूर्ति के लिये कै.वि.सं. के पास अपनी उपभोग आवश्यकता से अधिक अधिशेष विद्युत है, ऐसा कै.वि.सं. अपनी अधिशेष विद्युत का विद्यमान व्यवस्थाओं के अधीन, यदि कोई हो, डिस्कॉमों को या पावर एक्सचेंज में विक्रय कर सकता है।''

आज्ञा से
सचिव।

NOTIFICATION

Jaipur, February 4, 2020

No. RERC/Secy/Regulation- 135:-In exercise of the powers conferred under Section 86(1)(e) read with section 181 of the Electricity Act, 2003 and all power enabling it in this behalf, the Rajasthan Electricity Regulatory Commission after previous publication, hereby makes the following Regulations to amend theRERC (Renewable Energy Obligation) Regulations,2007 (hereinafter referred to as the 'Principal Regulations'), namely:

1. **Short title and commencement:**
   (1) These Regulations shall be called the "Rajasthan Electricity Regulatory Commission (Renewable Energy Obligation) (Sixth Amendment) Regulations, 2020."
   (2) These Regulations shall come into effect from 01.04.2019.
2. **Amendment in Regulation 4 of the Principal Regulations:**
   (1) The following proviso(s)shall be added below the existing tables appearing under the heading (A) of sub-regulation (2):

"Provided also that for CPPs commissioned before 1.04.2016, RPO shallbe at the level as mandated by the Commission for the year 2015-16. For CPPs commissioned from 1.04.2016 onwards, the RPO level as mandated by the Commission or Ministry of Power, whichever is higher, for the year of commissioning of the CPP shall be applicable.

Provided also that in case of any augmentation in the capacity, the RPO for augmented capacity shall be the RPO applicable for the year in which the CPP has been augmented.

Provided also that in case, for meeting the RPO obligation, CPP has surplus power than its consumption requirement, such a CPP may sell its surplus power to the DISCOMs under the prevailing arrangements, if any, or in the power exchange."

(2) The following proviso(s) shall be added below the existing tables appearing under the heading (B) of sub-regulation (2):

"Provided also that for CPPs commissioned before 1.04.2016, RPO shall be at the level as mandated by the Commission for the year 2015-16. For CPPs commissioned from 1.04.2016 onwards, the RPO level as mandated by the Commission or Ministry of Power, whichever is higher, for the year of commissioning of the CPP shall be applicable.

Provided also that in case of any augmentation in the capacity, the RPO for augmented capacity shall be the RPO applicable for the year in which the CPP has been augmented.

Provided also that incase, for meeting the RPO obligation, CPP has surplus power than its consumption requirement, such a CPP may sell its surplus power to the DISCOMs under the prevailing arrangements, if any, or in the power exchange."

By order,
Secretary

राज्य केन्द्रीय मुद्रणालय, जयपुर।